



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276863
CG-DL-E-06102026-276863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 57]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2026

का.नि.आ. 57(अ).— रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 के अधीन संख्या का.नि.आ. - 49 तारीख 23 सितंबर, 2010 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जिससे महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परियोजना स्थल बोरखेड़ी के आसपास स्थित अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों का अधिरोपण किया जा सके;

और माननीय उच्च न्यायालय बंबई की नागपुर पीठ द्वारा डब्ल्यू.पी. संख्या 2324/2023 में तथा डब्ल्यू.पी. संख्या 2435/2023 में का.नि.आ. 49, तारीख 23 सितंबर, 2010 को तारीख 30 मार्च, 2026 के अपने आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है;

और माननीय उच्च न्यायालय बंबई की नागपुर पीठ ने उपर्युक्त आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार को रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 3 के अधीन एक नई अधिसूचना प्रकाशित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परियोजना स्थल बोरखेडी के आसपास स्थित अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट निर्बंधन जो पहले से विद्यमान है, का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है, ताकि उक्त भूमि को भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त निर्बंधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. उक्त भूमि का मानचित्र जिला कलेक्टर, नागपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

अनुसूची

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परियोजना स्थल बोरखेडी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र राज्य की चारदीवारी की बाहरी परिधि की सबसे ऊपरी सीमा से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[फा. सं. 13020/116/2026/डी(भूमि)]

प्रीति मीणा, संयुक्त सचिव(एल एंड डब्ल्यू)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2026

S.R.O. 57(E)— Whereas, the notification was issued under section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), *vide* number S. R.O. 49, dated 23rd September, 2010 to impose restrictions specified in clause (c) of section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule herein, being land lying in the vicinity of Defence Research and Development Organisation, Project Site Borkhedi, District Nagpur, in State of Maharashtra;

And whereas, the S.R.O. 49, dated 23rd September, 2010 has been quashed by the Hon'ble High Court of Bombay at Nagpur Bench in W.P. No. 2324 of 2023 and in W. P. No. 2435/2023 *vide* its Order dated 30th March, 2026;

And whereas the Hon'ble High Court of Bombay at Nagpur Bench *vide* the aforesaid Order, given liberty to the Central Government to publish a fresh notification under section 3 of the Works of Defence Act, 1903.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903, the Central Government hereby declares that, it is necessary to continue to impose restrictions already in place, as specified in clause (c) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule herein, being land lying in the vicinity of Defence Research and Development Organisation, Project Site Borkhedi, District Nagpur, in the State of Maharashtra, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. The said restrictions shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the District Collector, Nagpur, Maharashtra.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of one hundred metres from the crest of the outer parapet of the boundary wall of Defence Research and Development Organization, Project Site Borkhedi, District Nagpur, in the State of Maharashtra.

[F. No. 13020/116/2026/D(Lands)]

PREETI MEENA, Jt. Secy. (L&W)